

संख्या:- प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या:- दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय जान:-


उच्च शिक्षण तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली/नर्सिंगी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विदेशीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अर्थात् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 22/01/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्य से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पड़वकास/पठेय लगता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार किये हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित पठेय सामग्री हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित पठेय सामग्री	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित पठेय सामग्री
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0अ0इ0बी0टी0ए0बी0पी0सी0ए0ए0बी0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकर 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1992, संशोधन विनियमनकारी 2010 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तब तक नहीं देगी। पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षों तक, नर्सिंगी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय नर्सिंगी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 32500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही परीक्षा व्यवस्थापन से प्राप्त किया जाएगा। उत्पन्न होने के अतिरिक्त छात्रवृद्धि से शुल्क के संकल्पन में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले प्रावधानों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया गया अवश्य होगा। पैनल निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु पठेय का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो कीस की नवीनतम ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमनकारी 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।


 PRINCIPAL
 KALKA PHARMACY INSTITUTE
 FOR ADVANCED STUDIES, MEERUT.

